

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्रीमती डेऊ बनाम फाल (कार)

सम मुकदमा ... प्रा. ५१ १११-१२० नं० १९ सन

क्र

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

30/23

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जायें । पत्रावली दिनांक 21-2-23 को पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल

21/23

पत्रावली पेश हुई, अधिमापकगण द्वारा न्यायिक कार्य रद्द कर रखने से पत्रावली दिनांक 28/2 को पेश हो ।

28.2.23

पत्रावली पेश हुई, अधिमापकगण द्वारा न्यायिक कार्य रद्द कर रखने से पत्रावली दिनांक 14/2 को पेश हो ।

14/23

पत्रावली पेश हुई, अधिमापकगण द्वारा न्यायिक कार्य रद्द कर रखने से पत्रावली दिनांक 28/2 को पेश हो ।

28-3-23

पत्रावली पेश हुई तकील प्रार्थनापत्र उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद वागिल होकर जापू हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण को कितनी बार क्लक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के अडिशन किये जाते ही तकील प्रार्थनापत्र का जापू पत्रावली कर लिया जाकर निर्णय प्रथम से खिखर जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली के शल सुमार होकर नगर से कम हो ।

उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 19/23 प्रा/पत्र

1- श्रीमती देवू D/O दीपचन्द्र उर्फ दीपा गाडरी निवासी - करणीपुरा तहसील - माण्डल (बगैरा)

-प्रार्थी

वनाम

1- काना-श्री उदा गाडरी निवासी - करणीपुरा तहसील - माण्डल (बगैरा)  
(सिद्धांतित प्रापत्र रासंग)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 28-03-23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम करणीपुरा पटवार हल्का वागौर II तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं 5477 कुल कित्ता 01 रकबा 0.3794 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिदा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 30.01.23 को पंजीवद किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कच्चे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम करणीपुरा पटवार हल्का वागौर II तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं 5477 कुल कित्ता 01 रकबा 0.3794 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा को पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक वागौर को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मांके व कच्चे की यथारिथति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा शशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाडा